न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 157 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
जीयाराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी नैनवा (शिवकर) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर	1. कुम्भाराम पुत्र ताजाराम का. मु. 1 / 1दानाराम गौद पुत्र कुम्भाराम 2. मूलाराम पुत्र भोमाराम 3. अन्नाराम पुत्र भोमाराम का.मु. 3 / 1गौसाईराम पुत्र अन्नाराम 3 / 2रेखाराम पुत्र अन्नाराम 3 / 3मांगीदेवी बैवा अन्नाराम 4. राईगांराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी गाला बेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 5. अचलाराम पुत्र पेमाराम हाल सिणधरी रोड़ शिवनगर 6. राउराम पुत्र पेमाराम निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण 7. मेधाराम पुत्र सुखराम 8. मगनाराम पुत्र मेहराराम का.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	मु. 8/1हेमाराम पुत्र मगनाराम 9. करनाराम पुत्र नानगाराम 10. बाबूराम पुत्र मुलाराम 11. कंवराराम पुत्र मूलाराम 12. सुरताराम पुत्र किशनाराम जाट निवासी गालाबेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार साहब बाड़मेर ग्रामीण 14. निम्बाराम पुत्र धनाराम जाति माली निवासी दानजी की होदी तहसील बाड़मेर 15. सोहनलाल पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर 16. कष्णा पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2019 बअनवान कुम्भाराम बनाम मुलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09. 2022 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री देवीलाल कुमावत की ओर से ब्रीफ हॉल्डर अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 14 की ओर से।
3. वकील श्री मेघाराम चौधरी उतरदाता संख्या 15 व 16 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—05.02. 2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 355 रकबा 356.19 बीघा का आया हुआ है जिसमें वादी का 34.13 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 89.04 बीघा, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को 89.04 बीघा, प्रतिवादी संख्या 07 को 44.11 बीघा, प्रतिवादी संख्या 08, 09 व 10 को 44.11 बीघा, प्रतिवादी संख्या 12 को 04.18 बीघा व प्रतिवादी संख्या 11 का 49.18 बीघा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार मौके पर बाहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर काबिज है तथा वादी अच्छी व उपजाऊ किस्म की भूमि अपने हिस्से में रखते हुऐ बंटवाड़ा करवाने की इस्तदुआ चाहते हुऐ वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 के पिता कुम्भाराम वर्ष 2006 में तथा प्रतिवादी संख्या 2 अन्नाराम पुत्र भोमाराम उम्र 2007 में एवं प्रतिवादी संख्या 8 मगनाराम वर्ष 2014 में फौत होने पर वाद में उनके वारिशों को अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड पर नहीं लेने से वाद विचारण प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अपीलांट के खिलाफ एकतरफा बिना सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट की पैतृक खेत खसरा संख्या 355 रकबा 356.19 बीघा में 1/4 हिस्सा में से 1/12 हिस्सा से रकबा 29.14 बीघा पर बाहामी बंटवाड़ा से 50 सालों से कब्जा काश्त मौके पर मकान, बाड़े, चारों तरफ बाड़ स्थापित होते हुये भी बंटवाड़ा प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार अपीलांट की उपस्थिति में नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचारण के दौरान विप्रार्थी बाबूराम को दिनांक 05.08.2003 को पक्षकार बनाने का आवेदन स्वीकार कर संशोधित शीर्षक पेश कर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है जो निर्णय विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2004 को तनकीयात कायम करने का आदेश में अंकित किया किन्तु न्यायालय ने कोई तनकीयात कायम किये बिना ही निर्णय पारित किया जो अपीलांट के लिये प्रभावहीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.03.2008 को वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया, दिनांक 15.12.2017 को दिनांक 04.03.2008 के आदेश को मनसुख किया, वाद वापस नम्बर पर लेने का आदेश किया तथा दिनांक 13.03.2018 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी का आदेश दिया तथा दिनांक 10.05.2019 से 17.12.2020 तक पत्रावली प्रतिवादी की तलबी में चलती रही तथा दिनांक 09.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग में प्रकरण रखा तथा दिनांक 23.06.2022 तक प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी में रखा गया, दिनांक 15.09.2022 को प्रतिवादीगण की बिना तलबी के ही विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री जारी की गई जो अपीलांट के लिये बेअसर है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.05.2003 को बंटवाड़ा प्रस्ताव बिना प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री जारी किया, हितबद्ध अधिकारियों से मिलीभगत कर कब्जा काश्त से बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नहीं कर एकतरफा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिस विभाजन प्रस्ताव को निर्णय दिनांक 15.09.2022 का अभिन्न अंग मानकर अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 14 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव भी नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किया गया। इसलिए अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेंटस संख्या 15 से 16 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रूप से पारित किया गया। अरसा 20 से 25 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 हल्का पटवारी के साथ मौके पर आये तथा मौके पर अपीलांट के हिस्से में हस्तक्षेप कर बेदखल करने का प्रयास किया जाने लगा तथा हल्का पटवारी ने बताया कि इस भूमि का बंटवाड़ा हो गया है जिस कारण अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांटस ने आलोच्य निर्णय की नकल को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 21.12.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम हस्तगत वाद व निर्णय की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में जानबुझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आदेशिका दिनांक 11.12.2002 के अनुसार भू अभिलेख निरिक्षक चवा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जबकि बंटवारे के मामले में तहसीलदार स्वयं से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाना आज्ञापक है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2002 की पालना में तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक 2055 दिनांक 30.05.2003 के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव मातहत अदालत को भिजवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 04.03.2008 को मूल वाद ही अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज हो गया। दिनांक 15.12.2017 को मूल वाद पुनः नंबर पर दर्ज किया गया। मूल वाद में दिनांक 15.12.2017 से लेकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने तक प्रकरण में प्रतिवादीगण के तलबी हेतु चल रहा था। हस्तगत वाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटस के नाम किसी प्रकार के कोई सम्मन जारी नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2022 को वादी अनुपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 06 स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रकरण का अंतिम निस्तारण विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.05.2003 के अनुसार कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा कोई काउंटर क्लेम पेश नहीं किया गया इसलिए मूल वाद में वादी स्वयं अनुपस्थित है तो वाद को अदम हाजरी में खारिज किया जाना था। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2019 (145/2019) बअनवान कुम्भाराम बनाम मुलाराम वगैरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2022 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर